

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23158.92	228.59	23387.51	29830.65	403.18	30233.83	27844.63	324.32	28168.95	32607.40	558.50	33165.90
वसूलियां	-4848.66	-0.01	-4848.67	-8909.50	-1.23	-8910.73	-6526.84	-1.23	-6528.07	-7886.91	-2.16	-7889.07
प्राप्तियां
निवल	18310.26	228.58	18538.84	20921.15	401.95	21323.10	21317.79	323.09	21640.88	24720.49	556.34	25276.83
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	250.90	4.77	255.67	269.26	5.74	275.00	167.48	28.81	196.29	192.15	11.86	204.01
1.02 वसूलियां	-0.23	...	-0.23
निवल	250.67	4.77	255.44	269.26	5.74	275.00	167.48	28.81	196.29	192.15	11.86	204.01
संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय												
2. केन्द्रीय जल आयोग												
2.01 केन्द्रीय जल आयोग	390.38	1.96	392.34	379.28	12.05	391.33	426.29	14.25	440.54	437.63	13.50	451.13
2.02 वसूलियां	-0.81	...	-0.81
निवल	389.57	1.96	391.53	379.28	12.05	391.33	426.29	14.25	440.54	437.63	13.50	451.13
3. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र												
3.01 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र	87.37	0.13	87.50	89.64	0.36	90.00	98.41	0.59	99.00	96.72	1.28	98.00
3.02 वसूलियां	-15.35	...	-15.35	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00
निवल	72.02	0.13	72.15	74.64	0.36	75.00	83.41	0.59	84.00	81.72	1.28	83.00
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र												
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र	29.59	0.08	29.67	29.89	0.11	30.00	30.50	...	30.50	34.89	0.11	35.00
5. बाणसागर कंट्रोल बोर्ड												
5. बाणसागर कंट्रोल बोर्ड	0.02	...	0.02	0.30	...	0.30	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
6. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
6.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	1.13	2.40	3.53	5.98	3.31	9.29	4.34	1.23	5.57	4.91	2.16	7.07
6.02 वसूलियां	-1.80	-1.23	-3.03	-1.84	-1.23	-3.07	-0.91	-2.16	-3.07
निवल	1.13	2.40	3.53	4.18	2.08	6.26	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
7. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड												
7. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	278.76	11.42	290.18	296.50	13.50	310.00	311.40	1.60	313.00	322.00	8.00	330.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	-2.45	...	-2.45
<i>निवल</i>	276.31	11.42	287.73	296.50	13.50	310.00	311.40	1.60	313.00	322.00	8.00	330.00
8. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण	3.64	0.14	3.78	19.78	5.22	25.00	7.00	2.41	9.41	18.00	5.91	23.91
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	48.98	...	48.98	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
10. राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र	3.30	...	3.30	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	7.24	...	7.24	8.81	0.19	9.00	8.81	0.19	9.00	10.81	0.19	11.00
12. पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम)	23.43	...	23.43	24.00	...	24.00	23.00	...	23.00	25.50	...	25.50
13. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)	50.99	...	50.99	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	51.00	...	51.00
14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	52.09	...	52.09	50.00	...	50.00	63.00	...	63.00	62.00	...	62.00
15. राष्ट्रीय जल अकादमी	10.95	0.15	11.10	13.27	0.73	14.00	8.77	0.26	9.03	15.37	20.82	36.19
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	2.39	0.04	2.43	3.85	0.15	4.00	2.94	0.06	3.00	3.44	0.06	3.50
जोड़-संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	971.65	16.32	987.97	1008.50	34.39	1042.89	1076.68	19.36	1096.04	1125.92	49.87	1175.79
17. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	12.00	...	12.00	55.00	...	55.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1222.32	21.09	1243.41	1277.76	40.13	1317.89	1256.16	48.17	1304.33	1373.07	61.73	1434.80
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
मुख्य सिंचाई परियोजनाएं												
18. फरक्का बैराज परियोजना												
18.01 फरक्का बैराज परियोजना	67.37	43.86	111.23	79.78	47.22	127.00	79.68	49.32	129.00	88.11	51.89	140.00
18.02 वसूलियां	-69.64	...	-69.64	-47.00	...	-47.00	-70.00	...	-70.00	-71.00	...	-71.00
<i>निवल</i>	-2.27	43.86	41.59	32.78	47.22	80.00	9.68	49.32	59.00	17.11	51.89	69.00
19. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
19.01 इएपी घटक	25.96	0.13	26.09	22.82	0.12	22.94	19.47	0.47	19.94	20.15	9.50	29.65
19.02 कार्यक्रम घटक	27.40	0.13	27.53	23.92	0.12	24.04	22.22	0.12	22.34	20.15	0.50	20.65
जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम	53.36	0.26	53.62	46.74	0.24	46.98	41.69	0.59	42.28	40.30	10.00	50.30
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	51.09	44.12	95.21	79.52	47.46	126.98	51.37	49.91	101.28	57.41	61.89	119.30
नमामी गंगे मिशन-II												
20. राष्ट्रीय गंगा योजना												
20.01 ईएपी घटक	899.79	...	899.79	1000.00	...	1000.00	600.00	...	600.00	500.00	...	500.00
20.02 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1496.31	...	1496.31	2345.70	...	2345.70	2400.00	...	2400.00	2900.00	...	2900.00
20.03 गैर-ईएपी घटक	1496.31	...	1496.31	2345.70	...	2345.70	2400.00	...	2400.00	2900.00	...	2900.00
20.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1496.31	...	-1496.31	-2345.70	...	-2345.70	-2400.00	...	-2400.00	-2900.00	...	-2900.00
20.05 वसूलियां	-473.78	...	-473.78
<i>निवल</i>	1922.32	...	1922.32	3345.70	...	3345.70	3000.00	...	3000.00	3400.00	...	3400.00
नदी बेसिन प्रबंधन												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. नदी बेसिन प्रबंधन	63.42	0.17	63.59	154.16	0.63	154.79	142.56	0.44	143.00	242.37	0.63	243.00
जल संसाधन प्रबंधन												
22. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	151.65	17.02	168.67	97.39	17.61	115.00	150.72	19.28	170.00	61.16	2.23	63.39
23. भू-जल प्रबंधन और विनियमन												
23.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	87.89	114.43	202.32	101.95	223.05	325.00	91.12	148.88	240.00	97.64	411.36	509.00
23.02 वसूलियां	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	<i>87.89</i>	<i>114.42</i>	<i>202.31</i>	<i>101.95</i>	<i>223.05</i>	<i>325.00</i>	<i>91.12</i>	<i>148.88</i>	<i>240.00</i>	<i>97.64</i>	<i>411.36</i>	<i>509.00</i>
24. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
24.01 इएपी घटक	156.91	17.13	174.04	302.50	28.10	330.60	224.36	22.04	246.40	6.49	0.01	6.50
24.02 कार्यक्रम घटक	146.95	0.27	147.22	302.50	28.10	330.60	224.36	22.04	246.40	6.49	0.01	6.50
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	<i>303.86</i>	<i>17.40</i>	<i>321.26</i>	<i>605.00</i>	<i>56.20</i>	<i>661.20</i>	<i>448.72</i>	<i>44.08</i>	<i>492.80</i>	<i>12.98</i>	<i>0.02</i>	<i>13.00</i>
25. राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन	29.57	13.10	42.67	52.02	15.04	67.06	34.97	10.03	45.00	53.80	16.20	70.00
26. अटल भू-जल योजना												
26.01 इएपी घटक	967.98	...	967.98	985.00	...	985.00	400.00	...	400.00	468.00	...	468.00
26.02 कार्यक्रम घटक	770.22	0.36	770.58	793.00	...	793.00	199.60	0.40	200.00	1312.00	0.40	1312.40
जोड़- अटल भू-जल योजना	<i>1738.20</i>	<i>0.36</i>	<i>1738.56</i>	<i>1778.00</i>	<i>...</i>	<i>1778.00</i>	<i>599.60</i>	<i>0.40</i>	<i>600.00</i>	<i>1780.00</i>	<i>0.40</i>	<i>1780.40</i>
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन	2311.17	162.30	2473.47	2634.36	311.90	2946.26	1325.13	222.67	1547.80	2005.58	430.21	2435.79
27. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	800.00	...	800.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	5148.00	206.59	5354.59	6213.74	359.99	6573.73	4519.06	273.02	4792.08	5705.36	492.73	6198.09
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
28. हर खेत को पानी	811.20	...	811.20	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	1100.00	...	1100.00
29. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	174.39	...	174.39	1400.00	...	1400.00	100.00	...	100.00	850.00	...	850.00
30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं												
30.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1333.85	...	1333.85	2500.00	...	2500.00	2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00
30.02 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	1333.85	...	1333.85	2500.00	...	2500.00	2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00
30.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1333.85	...	-1333.85	-2500.00	...	-2500.00	-2040.00	...	-2040.00	-2500.00	...	-2500.00
<i>निवल</i>	<i>1333.85</i>	<i>...</i>	<i>1333.85</i>	<i>2500.00</i>	<i>...</i>	<i>2500.00</i>	<i>2040.00</i>	<i>...</i>	<i>2040.00</i>	<i>2500.00</i>	<i>...</i>	<i>2500.00</i>
31. पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की चुकौती												
31.01 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज अदायगी	2171.94	...	2171.94	2114.00	...	2114.00	2114.00	...	2114.00	2043.00	...	2043.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
31.02 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को नाबाई ऋण हेतु मूलधन का पुनर्भूगतान	1023.82	...	1023.82	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00
31.03 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबाई के लिए व्याज आर्थिक सहायता	572.41	...	572.41	611.80	...	611.80	742.85	...	742.85	742.85	...	742.85
जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबाई से ऋण की चुकौती	3768.17	...	3768.17	3749.80	...	3749.80	3880.85	...	3880.85	3809.85	...	3809.85
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6087.61	...	6087.61	8249.80	...	8249.80	6620.85	...	6620.85	8259.85	...	8259.85
32. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमवीएपी)	197.49	0.90	198.39	447.74	1.83	449.57	398.10	1.90	400.00	448.12	1.88	450.00
	-0.09	...	-0.09
<i>निवल</i>	<i>197.40</i>	<i>0.90</i>	<i>198.30</i>	<i>447.74</i>	<i>1.83</i>	<i>449.57</i>	<i>398.10</i>	<i>1.90</i>	<i>400.00</i>	<i>448.12</i>	<i>1.88</i>	<i>450.00</i>
33. सिंचाई गणना	18.06	...	18.06	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
34. महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता	699.99	...	699.99	600.00	...	600.00	400.00	...	400.00
35. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य वेसिन												
35.01 ईएपी घटक	84.82	...	84.82	232.87	...	232.87	382.75	...	382.75	346.64	...	346.64
35.02 कार्यक्रम घटक	326.75	...	326.75	359.24	...	359.24	208.37	...	208.37	211.45	...	211.45
35.03 वसूलियां	-65.42	...	-65.42
<i>निवल</i>	<i>346.15</i>	<i>...</i>	<i>346.15</i>	<i>592.11</i>	<i>...</i>	<i>592.11</i>	<i>591.12</i>	<i>...</i>	<i>591.12</i>	<i>558.09</i>	<i>...</i>	<i>558.09</i>
36. नदियों को आपस में जोड़ना												
36.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	1390.73	...	1390.73	3500.00	...	3500.00	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00
36.02 नदियों को परस्पर जोड़ना	1390.73	...	1390.73	4000.00	...	4000.00	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00
36.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1390.73	...	-1390.73	-4000.00	...	-4000.00	-2000.00	...	-2000.00	-2400.00	...	-2400.00
<i>निवल</i>	<i>1390.73</i>	<i>...</i>	<i>1390.73</i>	<i>3500.00</i>	<i>...</i>	<i>3500.00</i>	<i>2000.00</i>	<i>...</i>	<i>2000.00</i>	<i>2400.00</i>	<i>...</i>	<i>2400.00</i>
37. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	3200.00	...	3200.00
38. ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत	5512.50	...	5512.50	5936.00	...	5936.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	11939.94	0.90	11940.84	13429.65	1.83	13431.48	15542.57	1.90	15544.47	17642.06	1.88	17643.94
कुल जोड़	18310.26	228.58	18538.84	20921.15	401.95	21323.10	21317.79	323.09	21640.88	24720.49	556.34	25276.83
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत सिंचाई	3190.73	...	3190.73	3500.00	...	3500.00	215.20	...	215.20	969.00	...	969.00
2. मुख्य और मध्यम सिंचाई	6711.97	...	6711.97	6928.53	...	6928.53	5934.62	...	5934.62	6550.15	...	6550.15
3. लघु सिंचाई	366.59	...	366.59	402.34	...	402.34	405.50	...	405.50	423.16	...	423.16
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	101.73	...	101.73	33.17	...	33.17	30.59	...	30.59	38.02	...	38.02

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. अन्य परिवहन सेवाएं	-2.27	...	-2.27	32.78	...	32.78	9.68	...	9.68	17.11	...	17.11
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2749.89	...	2749.89	3381.50	...	3381.50	3035.80	...	3035.80	3437.80	...	3437.80
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	254.31	...	254.31	289.04	...	289.04	174.48	...	174.48	210.15	...	210.15
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	53.03	53.03	...	103.29	103.29	...	88.88	88.88	...	64.97	64.97
9. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	125.88	125.88	...	236.70	236.70	...	150.54	150.54	...	419.42	419.42
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.90	0.90	...	1.83	1.83	...	1.90	1.90	...	1.88	1.88
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	43.86	43.86	...	47.22	47.22	...	49.32	49.32	...	51.89	51.89
12. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.19	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.91	4.91	...	10.96	10.96	...	31.22	31.22	...	17.77	17.77
जोड़-आर्थिक सेवाएं	13372.95	228.58	13601.53	14567.36	400.19	14967.55	9805.87	322.05	10127.92	11645.39	556.12	12201.51
अन्य												
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र	323.98	...	323.98	306.73	...	306.73	497.66	...	497.66
15. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4956.44	...	4956.44	5946.79	...	5946.79	11172.21	...	11172.21	12524.24	...	12524.24
16. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-19.13	...	-19.13	83.02	...	83.02	32.98	...	32.98	53.20	...	53.20
17. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	1.76	1.76	...	1.04	1.04	...	0.22	0.22
जोड़-अन्य	4937.31	...	4937.31	6353.79	1.76	6355.55	11511.92	1.04	11512.96	13075.10	0.22	13075.32
कुल जोड़	18310.26	228.58	18538.84	20921.15	401.95	21323.10	21317.79	323.09	21640.88	24720.49	556.34	25276.83

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड												
1. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	...	0.98	0.98	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़-डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	...	0.98	0.98	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़	...	0.98	0.98	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना के लिए है।

2. **केन्द्रीय जल आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निदेशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों का आधुनिकीकरण,

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूतान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।

3. **केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल आधारित परिवहन और पर्यावरणीय पहलुओं सहित जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की

आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देता है।

4. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) का कार्य-क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला संबंधी जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मामले जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।

5. **बाणसागर कंट्रोल बोर्ड:** यह प्रावधान बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं का निर्माण करना है।

6. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** यह प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा वापसी प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

7. **केन्द्रीय भू-जल बोर्ड:** यह प्रावधान, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) यह एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भू-जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं संधारणीय विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और इनका कार्यान्वयन करना है जिसमें भू-जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा अन्वेषण, भू-जल प्रणाली की निगरानी, देश के भू-जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

8. **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के तहत सचिवालय व्यय के लिए है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। यह संस्थान दिसंबर, 1979 में भारत सरकार द्वारा स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाती थी।

इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, उनमें सहायता करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुरूप एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना एवं उसका रखरखाव करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाओं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि की व्यवस्था करना है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र:** यह प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र(एनडब्ल्यूआईसी) के स्थापना व्यय के लिए है। सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना मंत्रिमंडल के अनुमोदन से की गई थी। ईएफसी की बैठक दिनांक 16.10.2015 को आयोजित की गई थी और यह

माना गया था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान डेटा के महत्व को देखते हुए, संपूर्ण डेटा और निर्णय समर्थन प्रणाली को एनडब्ल्यूआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

11. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनआरसीडी को बजट 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थानांतरित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 तक यह प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

12. **पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम):** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) की नियमित स्थापना हेतु वेतन के भुगतान के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

13. **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए):** एनडब्ल्यूडीए के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

14. **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** ब्रह्मपुत्र बोर्ड के व्यय को योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय से अलग करके इसके स्थापना व्यय की पूर्ति हेतु प्रावधान किया गया है।

15. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केन्द्रीय जल आयोग की राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और जिसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार गैर-योजना के अंतर्गत एनडब्ल्यूए के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका व्यय एचआरडी एवं सीबी योजना से पूरा किया जाता है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि यह स्थापना व्यय है अतः इसे किसी भी योजना के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता। तदनुसार, गैर-योजना के अंतर्गत आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई के व्यय की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।

17. **पोलावरम परियोजना प्राधिकरण:** पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) का प्रावधान उन कर्मचारियों के स्थापना व्यय के लिए है जो पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के तहत किए जाने वाले कार्यों की देखभाल करते हैं।

18. **फरक्का बैराज परियोजना:** यह प्रावधान फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसे भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज फीडर नहर का प्रचालन एवं अनुरक्षण, नेविगेशन लॉक्स तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की हिस्सेदारी के संबंध में समझौते को सुगम बनाना और उसका कार्यान्वयन शामिल है।

19. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** यह प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, ताकि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में शुरू किया गया है।

20. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** राष्ट्रीय गंगा योजना: यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

20.01. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

20.03. **गैर-ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों से संबंधित योजनाओं/ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। इसमें नये एसटीपी को चालू करने के अलावा मौजूदा मल जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के पुनरुद्धार और उन्नयन की योजना शामिल है।

21. **नदी बेसिन प्रबंधन:** यह प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य योजनाओं के सर्वेक्षण, जांच और तैयारी/अद्यतन, जल निकासी विकास योजना, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन संबंधी कार्यों जैसी अपनी नियमित गतिविधियों/कार्यों को पूरा करने; (ii) जल संसाधन विकास योजना की जांच जिसमें सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच एवं डीपीआर तैयार करने और एनडब्ल्यूडी को इसकी नियमित स्थापना तथा नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और डीपीआर तैयार करने के लिए अनुदान प्राप्त करने और (iii) नदी घाटी प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

22. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** यह प्रावधान, मौजूदा केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों को सुदृढ़ करने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार करके डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

23. **भू-जल प्रबंधन और विनियमन:** यह प्रावधान, भूजल प्रबंधन और बेहतर भूजल प्रशासन हेतु विनियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसमें उक्त योजना के तहत एकमात्र एनएक्यूयूआईएम परियोजना शामिल है।

24. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित) के पुनरावलोकन तथा उसके समेकन, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के बारे में राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करने, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी), बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली), सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के लिए है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

25. **राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन:** यह प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत

जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयनकारी योजनाओं/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए है।

26. **अटल भू-जल योजना:** यह प्रावधान भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन हेतु परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अटल भूजल योजना के लिए है।

28. **हर खेत को पानी:** यह प्रावधान पीएमकेएसवाई की अनुमोदित योजना के घटक- हर खेत को पानी के अंतर्गत (i) जल निकासी की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार, (ii) सतही लघु सिंचाई योजनाएं, और (iii) भूमि जल सिंचाई की योजनाओं के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। जबकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जिसमें प्राथमिकता वाली चिह्नित 99 परियोजनाओं के संबंध में बृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और सिंचाई क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं, का वित्तपोषण एलटीआईएफ से ईबीआर के माध्यम से किया जा रहा है, उपर्युक्त घटक बजट माध्यम के अंतर्गत जारी हैं।

29. **कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) घटकों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

30. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना संबंधी घटकों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसे पहले नाबार्ड से ऋण जुटाते हुए ईबीआर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।

31.01. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु ब्याज अदायगी:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के ब्याज अदायगी के लिए प्रावधान किया गया है।

31.02. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण हेतु मूलधन का पुनर्भुगतान:** पीएमकेएसवाई के तहत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड से प्राप्त ऋण के मूलधन की चुकौती के लिए प्रावधान है।

31.03. **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए ब्याज आर्थिक सहायता:** पीएमकेएसवाई के तहत राज्यों को नाबार्ड के ब्याज के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

32. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी):** बाढ़ के प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच समान/सीमावर्ती नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के लिए प्रावधान है।

33. **सिंचाई गणना:** यह प्रावधान, लघु सिंचाई संगणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई संगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

34. **महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा क्रमिक रूप से सूखा संभावित अन्य क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।
35. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का मुख्य उद्देश्य नदियों में पहुंचने वाले प्रदूषण लोड में विभिन्न प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों को आरंभ करते हुए उसमें कमी करते हुए नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।
36. **नदियों को आपस में जोड़ना:** यह प्रावधान केन-बेतवा नदी परियोजना के अंतर संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।
38. **ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत:** आंध्र प्रदेश (एपी) के गांव और जिले को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने वाले मौजूदा अयाकट के स्थिरीकरण नए अयाकट के विकास के परिकल्पित लाभ को अर्जित करने के लिए बांध और नहर प्रणाली के निर्माण के लिए प्रावधान है। यह प्रस्ताव पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए 30436.95 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के लिए है, जिसमें ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल) तक जल भंडारण है और परियोजना के लिए शेष केंद्रीय अनुदान 12157.53 करोड़ रुपये तक सीमित है।